रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052022-235993
CG-DL-E-24052022-235993

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2022/ज्येष्ठ 3, 1944
No. 366] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2022/JYAISHTHA 3, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

सं. 15/2022-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 387(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "डिकोर पेपर" (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4805 91 00 या 4802 20 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या फा. सं. 06/38/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 सितम्बर, 2021, जिसे दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपुर्यक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 882 (अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या फा. सं. 06/38/2020-डीजीटीआर, दिनांक 10 अप्रैल, 2022, जिसे दिनांक 10 अप्रैल, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया

था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या फा. सं. 06/38/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 सितम्बर, 2021, जिसे दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत जारी किए गए अपने अंतिम निष्कर्षों की शुल्क तालिका को बदले जाने की सिफारिश की थी।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 882 (अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में, सारणी और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4805 91 00, 4802 20 90	*डिकोर पेपर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	किंगडेकोर (झेजियांग) कं, लिमिटेड	116	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	4805 91 00, 4802 20 90	*डिकोर पेपर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शेडोंग बॉक्सिंग औहुआ स्पेशल पेपर कं, लिमिटेड	110	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	4805 91 00, 4802 20 90	*डिकोर पेपर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं, लिमिटेड	110	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	4805 91 00, 4802 20 90	*डिकोर पेपर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	हांग्जो हुआवांग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	297	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	4805 91 00, 4802 20 90	*डिकोर पेपर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी	542	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	4805 91 00, 4802 20 90	*डिकोर पेपर	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	542	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

**40-130 जीएसएम के रील फार्म के रूप में अनकोटेड पेपर जिनकी क्लेम अवशोषकता कम से कम 12 मिमी प्रति 10 मिनट हो, टेनसाइल स्ट्रेंथ 6-12 एन/15 मिमी हो और गुर्ली पोरोसिटी 10-40 सेकेंड/100 मिलीलीटर, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या पिगमेंट्स फिलर के रूप में मौजूद हों। इसमें हाई प्रेशर के बेस पेपर (एचपीएल) या लो-प्रेशर डेकोरेटिव लेमिनेट्स (एलपीएल) आते हैं, जिन्हें डिकोर पेपर, डेकोरेटिव बेस पेपर, हाई-प्रेशर के डेकोरेटिव पेपर या लो-प्रेशर लैमिनेट्स, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें रेडी-टू-यूज़ डिकोर पेपर नहीं आते हैं।*

प्रश्नगत उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डिकोर पेपर जैसे कि सरफेसिंग पेपर (व्हाइट/ऑफ-व्हाइट), लाइनर (व्हाइट/ऑफ-व्हाइट), बैरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (रंगीन/सफेद) आते हैं। इनका वैक्सिंग, कोटिंग और इंप्रेग्नेशन के लिए बेस पेपर के रूप में; प्रिंटिंग के बेस पेपर के रूप में; डेकोरेटिव इंडस्ट्री और बैरियर पेपर में प्रयोग किए जाने के लिए बेस पेपर के रूप में आयात किया जा सकता है, और यह विभिन्न आकार के जैसे कि 95 सेमी, 96 सेमी, 102 सेमी, 123 सेमी, 123.5 सेमी, 124 सेमी, 124.5 सेमी, 125 सेमी, 131 सेमी, 132 सेमी, 183 सेमी, 184 सेमी और 185 सेमी के हो सकते हैं।

[फा. सं. -190354/287/2021-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को सा.का.नि. 882 (अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2022

No. 15/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 387(E).—Whereas in the matter of ‘Décor Paper’ (hereinafter referred to as the ‘subject goods’) falling under tariff item 4805 91 00 or 4802 20 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the ‘Customs Tariff Act’), originating in, or exported from People’s Republic of China (hereinafter referred to as the ‘subject country’), and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide,* notification number F. No. 6/38/2020-DGTR, dated the 28th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th September, 2021, has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India;

And whereas, on the basis of the aforesaid final findings, *vide,* notification number F. No. 6/38/2020-DGTR, dated the 28th September, 2021 of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 77/2021-Customs(ADD), dated the 27th December, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the, *vide,* number G.S.R. 882(E), dated the 27th December, 2021;

And whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification number 6/38/2020-DGTR, dated the 10th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th April, 2022, has recommended substitution of Duty Table in its final findings issued, *vide,* notification number F. No. 6/38/2020-DGTR, dated the 28th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th September, 2021.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the said final findings of the designated authority, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 77/2021-Customs(ADD), dated the 27th December, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) of, *vide,* number G.S.R. 882(E), dated the 27th December, 2021, namely :-

In the said notification, for the TABLE and the entries relating thereto, the following Table shall be substituted, namely:-

"TABLE

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	48059100, 48022090	Decor Paper*	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd.	116	MT	US Dollar
2.	48059100, 48022090	Decor Paper*	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd.	110	MT	US Dollar
3.	48059100, 48022090	Decor Paper*	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.	110	MT	US Dollar
4.	48059100, 48022090	Decor Paper*	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd.	297	MT	US Dollar
5.	48059100, 48022090	Decor Paper*	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any other than SN. 1., 2., 3. and 4.	542	MT	US Dollar
6.	48059100, 48022090	Decor Paper*	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	542	MT	US Dollar

**uncoated paper in reel form of 40-130 GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler. It includes base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decor paper, decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed ready-to-use decor paper.*

The subject goods include various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color / white). It may be imported as base paper for waxing, coating and impregnation; base paper for

printing; base paper for use in decorative industry and barrier paper, and may come in various sizes as 95 cm, 96 cm, 102 cm, 123 cm, 123.5 cm, 124 cm, 124.5 cm, 125 cm, 131 cm, 132 cm, 183 cm, 184 cm and 185 cm.".

[F. No. 190354/287/2021-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 77/2021-Customs(ADD), dated the 27th December, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 882(E), dated the 27th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.24 21:28:53 +05'30'